तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरों के
11-11-21	पगवली पेश हुई। पगवली पर आदेश निम्नानुसार है। वाद वादीगण वकील पक्षकारान की आपसी सहमति से निपटा दिया जाता है। घोषणा का आदेश की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नं० 308 रकबा 1.36 है० खसरा नं० 309 रकबा 0.76 है०, खसरा नं० 310 रकबा 0.59 है०, कुल किता- 3 कुल रकबा 2.71 है० सरहद राजस्व ग्राम बरनावा मजकूर का कब्जा वर्ष 2016 से खाले वर्ष से कृषि भूमि 1/2 हक हिस्से के लगान पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज किया जाकर तथा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को उक्त 1/2 हिस्से का पृथक खातेदार-काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिजनौर के आदेश दिये जाते हैं कि वाद वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य सदैव का गवाहान रखते हुए विधिवत रकबा विभाजन करें। तथा राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खातेदार-काश्तकार अभिलिखित कर नस्तों में लगाने स्थायी से तरमीम करें। प्रतिवादीगण सं० 3 लगायत 13 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें ना ही किसी अन्य से कराकें। तहसीलदार बिजनौर के आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्तानुसार पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्ची डिक्री जारी हो। पगवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील पत्रा दरखील दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजनौर जिला बुलन्दशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 15:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner